

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों तथा मादक पदार्थों के बिक्री व निष्कर्षण पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में अवैध रूप से अपमिश्रित कच्ची शराब जिसमें यूरिया व नौसादर मिला हुआ था को बेचने के लिये ले जाने से संबंधित अभियुक्ता सुनीता साहनी पत्नी हरीश्वन्द्र साहनी नि. माधोपुर टोला शोभाइता थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को दिनांक 29.07.2021 को समय 23.00 बजे मुखबिर खास के सुचना पर अभियुक्ता उपरोक्त को ग्राम माधोपुर टोला शोभाइता में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से 01 अदद प्लास्टिक की जरीकेन में 10 ली. अपमिश्रित कच्ची शराब व 100-100 ग्राम यूरिया व नौसादर बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 293/21 धारा 60 ExAct व 272 भादवि में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्ता को माननीय न्यायालय सदर गोरखपुर रवाना किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त

अभियुक्त सुनीता साहनी पत्नी हरीश्वन्द्र साहनी नि.माधोपुर टोला शोभाइता थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

धारा जिसमें गिरफ्तारी हुई का विवरण

मु0अ0स0 293/21 धारा 60 ExAct व 272 भादवि

गिरफ्तारी दिनांक व स्थान का नाम

दिनांक 29.07.2021 समय 23.00 बजे ग्राम माधोपुर टोला शोभाइता थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर

बरामदगी – 01 अदद प्लास्टिक की जरीकेन में 10 ली. अपमिश्रित कच्ची शराब व 100-100 ग्राम यूरिया व नौसादर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उनि अखिलेश कुमार
2. हे0का0 शम्भू नाथ यादव
3. का.रामवृक्ष
4. म.का. रीतू यादव